

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सविता देवी पति- विशेष मिश्रा ग्राम- ओझौल वार्ड 10 पो0- ओझौल थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा यूएचआईडी न0- 109141688	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-असारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0- SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2606 (14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ पित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक,

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक 23/9/2026

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुकृति वर्मा पिता— शुभम कुमार वर्मा ग्राम— कुर्साकाटा वार्ड 05 पो0+थाना— कुर्साकाटा जिला— अररिया यूएचआईडी न0— 109155922	हृदय रोग एसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0—30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—10874584258, खाता धारक का नाम—AIIMS CT PATIENT’S ACCOUNT खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—



“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379. शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

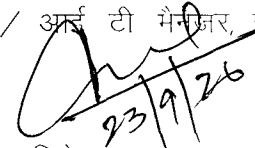
ज्ञापांक 2607(14)

पटना, दिनांक

23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धर्मेन्द्र कुमार पिता- आनंदु साह ग्राम- रामपुरजुरावन पो०- बालुकाराम थाना- वैशाली जिला- वैशाली सीआर न०- 2024814220	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	B/o आफरीन रशीद पिता- शाहिद अली ग्राम- नया टोला गज न० 1 पो०- बेतिया थाना- नगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 2026652691	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सेहरा खातून पति- मो० मजीद ग्राम- पानापुर पो०- नरियार थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 2026616621	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राजेंद्र रॉय पिता- स्व० रामपुकार रॉय ग्राम- बगासदुल्लाह वेस्ट दिघी पो०- दिघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न०- 2026707056	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

5	सजय कुमार पिता- बैद्य नाथ महतो ग्राम- पिरौछा पो0- काटा पिरौछा थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2024872640	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
6	अनिल कुमार पिता- शत्रुघ्न चौधरी ग्राम- पकरी डीह पो0- जनार्दनपुर थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 2021691081	ब्रेन सर्जरी (ट्यूमर)	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	धर्मनाथ सिंह पिता- सजावल सिंह ग्राम- पिपरपाती पो0- मधुबनी थाना- धनहा 2 पो0- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2014119766	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	सुशांत कुमार ठाकुर पिता- अनिल कुमार ठाकुर ग्राम- जाले वेस्ट जाले पो0+थाना- जाले जिला- दरभंगा सीआर न0- 2026116323	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
9	शिल्पी कुमारी पिता- अमिका सिंह ग्राम+पो0- अहिरौलिया थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 20251181291	वास्कूलर सर्जरी	1,80,000	एक लाख अरसी हजार स्वीकृत।
10	विराट सिंह पिता- कन्हैया कुमार सिंह ग्राम- लक्ष्मीपुर पो0- नन्दपुर अमवारी थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान सीआर न0- 2025208707	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	शांति देवी पति- सुकठ साह ग्राम- सुरापुर पो0- सिवान थाना- हुसैनगज जिला- सिवान सीआर न0- 2026671484	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	अशु कुमारी	हृदय रोग Evaluation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

	पिता- अश्विनी कुमार ग्राम- भोजपुर पो0- पावापुरी थाना- गिरियक जिला- नालदा सीआर न0- 2026123304	Shunt Surgery		विशेष परिस्थिति मे।
13	सरिता देवी पति- श्याम सुन्दर गुप्ता ग्राम+पो0+थाना- पौथू जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 2026770768	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	अभिषेक कुमार द्विवेदी पिता- आदित्य कुमार द्विवेदी ग्राम- पसनौली सागर वार्ड 11 पो0+थाना- महाराजगज जिला- सिवान सीआर न0- 2026681776	Corrosive Poisoning with diffuse Esophagitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			18,00,000 -/	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,00,000/- (अठारह लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0, RTGS/IFSC कोड सं SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2608(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

कि

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
उसडीयुट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

साहब,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुसार आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा भय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	सुनीता देवी पति- ओम प्रकाश सिंह ग्राम - औरइया देव पो0- दरौली थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7405705	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	कौशल्या देवी पति- अवधेश प्रसाद सिंह ग्राम- जोलगावा पो0- छोडादानो थाना- जितना जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 8365392	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	शिवम कुमार पिता- रिकू चौरसिया ग्राम- किशुनपुरा पो0- गोई थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 8481989	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
4	प्रतिलि सेठ(अजलि कुमारी) पिता- गोमेद सेठ ग्राम- वैरी पो0- गेहुँआ थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 4014071	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	गायत्री देवी पति- स्व० चन्नु साह ग्राम- नरैनापुर पो०+थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी न०- 3375674	कैसर रोग	1,00,000	एन० सी० र० क०
			₹ 7,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,00,000/- (सात लाख) के भुगतान के लिए सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000883 आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाते सं० 27790100039150 खाता धारक का नाम- Other-Patient Relief Fund BHU, प्रकार-चालु, बैंक का नाम- Bank of Baroda, शाखा का नाम- BHU, Varanasi, RTGS कोड सं० BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि वापस मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के अंतर्गत कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का गिलान कर प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी राशि अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, एन० सी० ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छ माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अर्हता प्राप्त लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वराभा जग

ह०।

(डॉ० श्रीमती, र०, र०, र०)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2609(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए एन० सी० सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाते में प्रेषित दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आदेशात्मक पत्र पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

दिनांक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

स्वा. म.

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

मन्त्रालय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दुर्गा प्रसाद चौबे पिता— रामानन्द चौबे ग्राम— रामपुर पो०— भोरे थाना— भोरे जिला— गोपालगंज केस फाईल न०— केई/07950	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	प्रतिमा देवी पति— देव कुमार चौबे ग्राम— नावाडीह पो०— श्रीखीण्डा थाना— वघेला जिला— रोहतास केस फाईल न०—18एफ2026/010900	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	आरती देवी पति— जगदेव राम ग्राम— घुघरी टाड वार्ड 45 पो०— चाद वौरा थाना— विष्णुपद जिला— गयाजी केस फाईल न०—18एफ2026/014067	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	अनीता देवी पति- कुलदीप कुमार यादव ग्राम- तियर ठाकुरवाडी घोषी टोला वार्ड 04 पो0+थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर केस फाईल न0-11एफ2025 / 022638	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख रुपया
			3,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए प्राप्त सस्त्रान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000883 आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्त्रान/अस्पताल के खाता सं0 367562270 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 में अंतरित किया है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के अन्तर्गत वापस कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का निवेदन किया जायेगा। चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाय। आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होना आवश्यक है। व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006372, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वाराभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 26/01/24

पटना, दिनांक- 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए जलपत्र के माध्यम से सलग्न चेक सं0 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को अंतरित कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी भवन, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सर्वोपस्थित,

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्तावित

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सक निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इमतेयाज अलम पिता- वोहीद असादी ग्राम- बूडुवाहा पो0+थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 12एफ2026/004571	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	आनंद कुमार पिता- वुट्टन साव ग्राम- नासरीगज दानापुर पो0- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना केस फाईल न0- 11एफ2025/019924	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	विशाल कुमार पिता- उपेन्द्र प्रसाद ग्राम- मुबारकपुर पो0- दानापुर थाना- शाहपुर जिला- पटना केस फाईल न0- 11एफ2026/021693	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	जयंती देवी पति- बिमल कांत मणि त्रिपाठी ग्राम- वेस्ट गोपालपुर वार्ड 33 पो0- मोतिहारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 12एफ2026/005413	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			4,00,000	

- 2 उपर्युक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान /अस्पताल के प्रमुख द्वारा उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता न0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली

रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 1000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का माध्यम से आपके सस्स्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी0एम0ए0को, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को स्वयंसेवक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर दिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का प्रमाण पत्र चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र सम्पूर्ण रूप से ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अक्षयि लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2611 (14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए जसुरा के माध्यम से सलग्न चेक सं० 1000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को किया दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी। लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Medanta Hospital,
Sector-A, Pocket 1,
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,
Lucknow - 226030

पटना, दिनांक

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	उमेश तिवारी पिता— प्रमानंद तिवारी ग्राम— बिशुनपुरा पो0— नेचुआ थाना— कुचायकोट जिला— गोपालगंज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स०— 41120248418, खाता धारक का नाम— Global Health Limited, खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम—, RTGS/IFSC कोड स०— SBIN0004298 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना



आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

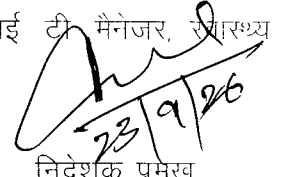
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2627 (14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रति,

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
एम्बेस अस्पताल प्रा० लि०
ओ०एल० डबलु हाईडिल रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुसार आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के निदान के व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अधिक चंद्र साह पिता- वगाली साह ग्राम- जगरनाथपुर पो०- बनैली चम्पानगर थाना- चम्पानगर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मनतिषा देवी पति- हरेद्र यादव ग्राम- ठगनी के डेरा पो०- मंडका राजपुर थाना- तिलक राय के हाता जिला- बक्सर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मनोज खरवार पिता- रंगबहादुर खरवार ग्राम- लडुई पो०- पानापुर थाना- करगहर जिला- रोहतास	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	तपेश्वर प्रसाद पिता- शिवशरण प्रसाद ग्राम- खभरा पो०- धिवरी थाना- मऊ जिला- गयाजी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	राम दुलारी देवी पति- रामजी यादव ग्राम- रेका पो०- आथर थाना- सिकरौल जिला- बक्सर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	बिजेद्र साह पिता- अमिर चंद साह ग्राम- बडकागाव चरनाढ पो- सिसिरित थाना- नोखा जिला- रोहतास	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख
			6,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000/- (छः लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए सस्रथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000883 के माध्यम से आपके सस्रथान/अस्पताल के खाता सं0-36180579026, बैंक का नाम- APEX WELCARE PVT. LTD खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा का नाम- SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम, 1973" के अन्तर्गत वापस कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी के बिना चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। परंतु कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सस्रथान के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निर्देशित कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को स्वास्थ्य विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0009252 शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं के अर्हता प्राप्त लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विचारामात्र

र०

(डॉ० (श्रीमती) रश्मि र०)

निदेशक प्रमूख

ज्ञापक 2628(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करना एवं सलग्न चेक सं0 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में किया कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/26
निदेशक प्रमूख

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रार्थक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

समाप्त

निदेशक

Indra Hospital

Super Multi Speciality Hospital Pvt. Ltd.,

Akhari Bypass, N.H.-2 Road,

Varanasi 221011

पटना, दिनांक

विषय-- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्ताव,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुसार आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा खर्च वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमिक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
	रवि कुमार राम पिता- नन्द जी राम ग्राम- सहीपुर पो०- अतरौना थाना- इटाही जिला- बक्सर	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 75,000	

उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 701720110000018, खाता धारक का नाम- INDRA HOSPITAL, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- AKHARI, VARANASI, RTGS/IFSC कोड स0- BKID0007017 में अंतरित किया जाता है।

उक्त प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, जम्मू, जम्मू के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006319, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वारामाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2629 (14)

पटना, दिनांक

23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुसूचित जाति सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आइं टी मैरिटर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

दिनांक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पो0 वी0 न0-3,भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुसार आपके सास्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय को काले कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	खुशबु कुमारी पति- सौरभ कुमार ग्राम- वासुदेवपुर पो0- कोरिया थाना- मुफसिल जिला- बेगूसराय सीएमसी न0- एम्यू 56253	हृदय रोग डीभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मीना देवी पति- ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- ददरी जाला थाना- सग्रामपुर जिला- मुंगेर सीएमसी न0- एपी 24022	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कर्मवीर शिरोमणि पिता- परमानन्द सिंह ग्राम- छोटा हसनपुर पो0+थाना- खुशरूपुर जिला- पटना सीएमसी न0- एपी 32003	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
4	मीना देवी पति- विजय प्रसाद सोनी ग्राम- इटाउन पो0- माननपुर थाना- चानन जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एएन 52178	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	बालकेश्वर पासवान पिता— यदुनदन पासवान ग्राम— खुनीघाट पो0+थाना— मखदुमपुर जिला— जहानाबाद सीएमसी न0— एपी 95633	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	अनामिका पति— सतोष कुमार ग्राम+पो0— कटारी थाना— कोरमा जिला— शेखपुरा सीएमसी न0— एजे 80280	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	रूबी देवी पति— जीतेन्द्र कुमार बनवाल ग्राम+पो0— जूरी थाना— पकरीबरावा जिला— नवादा सीएमसी न0— एएन 44391	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	नदन कुमार रजक पिता— रूपनाथ रजक ग्राम— कच्ची रोड गिरिडा कॉलेज मोड पो0+थाना— शेखपुरा जिला— शेखपुरा सीएमसी न0— एक्यू 17321	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
9	राजेद्र प्रसाद यादव पिता— राम प्रसाद यादव ग्राम— बतसपुर पो0— मननपुर थाना— बन्नीबगीचा जिला— लखीसराय सीएमसी न0— एडी 60483	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	चौद देवी पति— दिलीप कुमार दास ग्राम— कनयारी पो0— धीरा थाना— हलसी जिला— लखीसराय सीएमसी न0— 467777डी	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			14,35,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,35,000/- (चौदह लाख पैतीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000883 द्वारा आहरित कर श्लोक मेडिकल ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम-

C M C Vellore Association. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन पाल (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता ।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उक्त अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाएगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 प्राप्ति स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा कर दिया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की सम्भावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

आपका 2630(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न को 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख